पत्रांक–12 / अ.6–12 / 2010....2316 /

झारखंड–सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
सह–संयुक्त सचिव।
झारखंड, रांची।

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,
पूर्वी क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,
15, नीलकंठ नगर, नयापल्ली,
भुवनेश्वर–751012

रांची, दिनांक 28/8/2011

विषयः– **बी0बी0एम0 बी0एड0 कॉलेज, सरदाहा, चास, बोकारो को बी0एड0 की पढ़ाई हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक–6675 दिनांक–25.03.2011 के आलोक में कहना है कि राज्य के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त बी0बी0एम0 बी0एड0 कॉलेज, सरदाहा, चास, बोकारो को शिक्षक प्रशिक्षण (बी0एड0) की पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए सैद्वान्तिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया हैः–

1. विभागीय संकल्प संख्या–402 दिनांक–12.02.2007 की कंडिका 6 में निहित प्रावधानों के अनुरूप इस संस्थान को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता नही दिया जायेगा। संस्थान को उपर्युक्त प्रावधान के अनुपालन एवं पूर्णतः स्व वित्तपोषित कार्यक्रम की शर्त के साथ यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।

2. महाविद्यालय प्रबंधन ने यह शपथ पत्र दिया है कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा निर्गत होने वाले सभी अनुदेशों का अक्षरसः पालन करेगें।

3. राज्य सरकार का यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र सैद्वान्तिक होगी। महाविद्यालय प्रबंधन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त कर सबंधित महाविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के पश्चात् ही राज्य सरकार की अनुमति से महाविद्यालय में प्रशैक्षणिक कार्यक्रम प्रारंभ करेगा।

4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानक के अनुसार प्रत्येक सत्र में शिक्षक के लिए न्यूनतम अर्हता वाले अभ्यर्थियों का हीं नामांकन करेगा।

5. नामांकन हेतु आवेदन पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित कर राज्य सरकार के शैक्षणिक आरक्षण कोटि के अनुसार प्रत्येक कोटि के मेधा सूची तैयार करेंगे तथा एक प्रतीक्षा सूची तैयार करेंगे तथा इसके आधार पर हीं नामांकन किया जायेगा।

6. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम 240 दिनों का प्रशिक्षण सत्र चलाया जायेगा और इसके पश्चात् ही नामांकित एवं अध्ययनरत् छात्र परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए फार्म भर सकतें है।

7. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के संदर्भ में संस्थान की जांच स्वयं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा कराकर संतुष्ट होने के उपरांत ही मान्यता संबंधी कार्रवाई करेगे।

8. राज्य सरकार को संस्थान द्वारा किसी भी बिन्दु पर अनियमितता के संबंध में यदि प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो राज्य सरकार नियमानुसार संस्थान का अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले सकती है।

विश्वासभाजन,

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
सह–संयुक्त सचिव
झारखंड, रांची।

ज्ञापांक–12 / अ.6–12 / 2010....2316 / रांची, दिनांक 28/8/2011

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी / विभागीय प्रधान सचिव के सचिव / क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग / जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो / सचिव / प्राचार्य, बी0बी0एम0 बी0एड0 कॉलेज, सरदाहा, चास, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
सह–संयुक्त सचिव
झारखंड, रांची।